राजस्व अपील संख्या : 105 / / 2024
उनवान : करणसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार सुमेरपर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 105 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 583

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
1. करणसिंह पुत्र जवारसिंह 2. हरिसिंह पुत्र जवारसिंह 3. कानसिंह पुत्र जवारसिंह के कायम मुकामः– 3.1 देवेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह 3.2 बादलकंवर पत्नी कानसिंह 3.3 रसाल कंवर पुत्री कानसिंह तमाम जातिगण राजपूत निवासीगण रामनगर तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आपसी सहमति के आधार पर मौजा कोलीवाडा पटवार हल्का कोलीवाडा के खसरा नम्बर 143 रकबा 0.8600 हैक्टेयर के नामान्तरकरण संख्या 1353 दिनांक 03.03.2023 को तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–
1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव।

–:निर्णयः–

दिनांकः 27.02.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **आपसी सहमति के आधार पर मौजा कोलीवाडा पटवार हल्का कोलीवाडा के खसरा नम्बर 143 रकबा 0.8600 हैक्टेयर के नामान्तरकरण संख्या 1353 दिनांक 03.03.2023 को तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध** पेश की। अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कोलीवाडा पटवार हल्का कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर में राजस्व भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 0.8600 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आयी हुई है जिस आराजी में अपीलाण्ट संख्या 01 लगाय 03 का अविभक्त हिस्सा आता है।

यह है कि अपीलाण्ट संख्या 01 लगाय 03 द्वारा आपसी सहमति से अपने बंट काश्तशुदा खसरा नम्बर 143 रकबा 0.8600 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवाडा करना तय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 105 / / 2024
उनवान : करणसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार सुमेरपर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

करते हुए अपीलाण्ट संख्या 01 लगाय 03 एवं रास्ते की भूमि निम्नानुसार अपने बंट हक हिस्से काश्तनुसार एवं शामलाती रखी गयी खसरा नम्बर 143 रकबा 0.8600 हैक्टेयर का निम्नानुसार बंट किया गया जो निम्नानुासर हैः–

क्र.स.	बंट के खसरा नम्बर	बंट के नये खसरा नम्बर राजस्व रिकॉर्ड में	राजस्व रिकॉर्ड में नाम रकबा
1.	143	1234 / 143	0.2800 हैक्टेयर करणसिंह पुत्र जवारसिंह
2.	143	1235 / 143	0.2800 हैक्टेयर हरिसिंह पुत्र जवारसिंह
3.	143	1236 / 143	0.2800 हैक्टेयर देवेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह , बादलकंवर पत्नी कानसिंह, रसाल कंवर पुत्री कानसिंह
4.	143	1237 / 143	0.0200 हैक्टेयर रास्ते हेतु (शामलाती)
कुल योग			**0.8600 हैक्टेयर**

यह है कि अपील के पद संख्या 02 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट संख्या 01 लगाय 03 के हिस्सा बंट कब्जा अनुसार नजरीनक्शा में अलग–अलग हिस्से में रखी गई लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नक्शें में अपीलाण्ट संख्या 01 लगाय 03 के बंट की भूमि को गलती से कम ज्यादा कर गलत रुपेण आपसी सहमति से बंटवाडा नामान्तरकरण संख्या 1353 दिनांक 03.03.2023 को खोला गया है उसमें अपीलाण्ट खसरा नम्बर 143 का रकबा तो वो ही रखा गया है लेकिन राजस्व नक्शें में अपीलाण्ट संख्या 01 लगाय 03 के बंट हिस्सा कब्जानुसार नही दर्शाया गया है जिससे तमाम कार्यवाहियां राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों व तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मुकदमा बाजी बढ़ाने व पैचीदगीया डालने के लिये गलत रुपेण आपसी सहमति का बंटवाडा कर बंटवाडा के नियमों की अवहेलना कर राजस्व नक्शें में गलत रुपेण तरमीम करने से राजस्व अभिलेख में हुई गलती को सुधारने बाबत सहमति से बंटवाडे के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1353 दिनांक 03.03.2023 के खसरा नम्बर 143 में रेस्पोडेण्ट संख्या 04 को सही करने बाबत कई बार कहां लेकिन आज कल कहकर टालमटोल कर रहे है जिसको सक्षम नयायालय में अपील द्वारा निरस्त करने पर ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में सही तरमीम किया जा सकता है। जिससे उक्त अपील श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त म्यूटेशन संख्या 1353 दिनांक 03.03.2023 के खसरा नम्बर 143 का तहसीलदार सुमेरपुर रेस्पोडेण्ट संख्या 04 द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन को निरस्त कर पुनः खसरा नम्बर 143 रकबा 0.8600 हैक्टेयर किये जाने एवं अपीलाण्ट संख्या 01 लगाय 03 के नाम पुनः सहखातेदारान बहिस्सानुसार सयुक्त किये

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

जाने एवं राजस्व नक्शें में संयुक्त किये जाने का आदेश किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत होने से यह अपील श्रीमान् के समक्ष पेश है।

यह है कि अपीलाण्ट ने तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत आपसी सहमति से बंटवाडा नामान्तरकरण संख्या 1353 दिनांक 03.03.2023 के पश्चात् आपसी सहमति से बंटवाडा में वर्णित नजरी नक्शा में वर्णित अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 143 व राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज खसरा नम्बर 1234 / 143, 1235 / 143, 1236 / 143, 1237 / 143 का बंट मौकेनुसार भौतिक सत्यापन कर राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सुमेरपुर को पेश किया लेकिन तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा आज दिन तक मौके बंट हिस्सा अनुसार नक्शे में सही तरमीम नहीं किये जाने से उक्त अपील देरीना श्रीमान के समक्ष पेश है।

अतः उक्त अपील अपीलाण्ट्स संख्या 01 लगाय 03 की ओर से पेश कर निवेदन है कि गांव कोलीवाडा के खसरा नम्बर 143 रकबा 0.8600 हैक्टेयर के आपसी सहमति से बंटवाडा म्यूटेशन संख्या 1353 दिनांक 03.03.2023 तहसीलदार सुमेरपुर रेस्पोडेण्ट संख्या 04 द्वारा स्वीकृत को निरस्त फरमाया जावें एवं आपसी सहमति बंटवाडा के पूर्व खसरा नम्बर 143 रकबा 0.8600 हैक्टेयर अपीलाण्ट संख्या 01 लगाय 03 के हिस्सा अनुसार संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त रुपेण राजस्व नक्शा में इन्द्राज किये जाने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार सुमेरपुर ने मौजा कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 143 रकबा 0.8600 हैक्टेयर के नामान्तरकरण संख्या 1353 दिनांक 03.03.2023 आपसी सहमति से बंटवाडा को खातेदार के मौके पर बंट अनुसार नहीं कर राजस्व रिकॉर्ड में गलत रुप से इन्द्राज किया है जिसकी जानकारी इसी माह अपीलाण्ट को होने से यह अपील देरीना पेश की है जिससे उक्त अवधि को कण्डोन किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि इस अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन फरमाया जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त मियाद प्रार्थना अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का अप्रार्थी द्वारा कोई प्रतिकार या खण्डन नहीं करने तथा पत्रावली में भी ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य जिसके आधार पर प्रतिकूल उपधारणा की जा सके, नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत अपील को गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि:–

1. अपीलार्थी की ओर से श्रीमान के न्यायालय में आपसी सहमति के आधार पर मौजा कोलीवाडा पटवार हल्का कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर में राजस्व भूमि में केवल खसरा संख्या 143 रकबा 0.8600 हैक्टयेर किस्म बारानी अव्वल के नामान्तरकरण संख्या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली. जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 105 / / 2024
उनवान : करणसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार सुमेरपर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1353 दिनांक 03.03.2023 को धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपील प्रस्तुत की है जबकि खाता संख्या 41 में अंकित खसरा संख्या 143 रकबा 0. 8600 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 145 रकबा 2.4700 हैक्टेयर किस्म चा.प्र.जा.अ. खसरा संख्या 152 रकबा 0.7700 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 03, कुल रकबा 4.1000 हैक्टेयर है।

2. यह है कि अपीलाण्ट ने दिनांक 25.11.2020 को उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्पूर्ण खाता संख्या 41 की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा हेतु प्रार्थना पत्र मय फोटो के पेश किया था तथा मौके पर बंटवाडा राजस्व रिकॉर्ड में नजरी नक्शा में दर्शाकर स्टाम्प पर हस्ताक्षर कर बंटवाडा तस्दीक किया था जबकि तहसीलदार सुमेरपुर ने खाता संख्या 41 के केवल दो खसरा संख्या 143 व 152 का ही गलतरुपेण बंटवाडा दर्शाया है, उक्त बंटवाडा के म्यूटेशन न. 1353 दिनांक 23.02.2023 को लिखा है जबकि तहसीलदार के हस्ताक्षर 03.01.2023 को किये हुये है। उक्त जानकारी अपीलाण्ट को प्रार्थना पत्र आपसी सहमति दिनांक 25.11.2020 के खाता संख्या 41 की नकल प्राप्त होने पर अन हुई है जिससे उक्त उक्त प्रस्तुत अपील में पूर्ण संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं सम्पूर्ण खाता संख्या 41 के खसरा संख्या 143, 145, 152 कुल रकबा 4.1000 हैक्टेयर को अपील में इन्द्राज फरमावें।

अपीलार्थीपक्ष ने वक़्त बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए माफिक प्रार्थना पत्र अपील मीमों में संशोधन की अनुमति चाहा। वक्त बहस रेस्पोडेण्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 पर अपीलार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनी गई। अपीलाण्ट ज़रिए प्रार्थना पत्र अपील मीमों में पूर्व अंकित खसरा संख्या 143 के स्थान पर सम्पूर्ण खाता संख्या 41 के खसरा संख्या 143, 145 एवं 152 कुल रकबा 4.10 हैक्टेयर का संशोधित इन्द्राज करने की इस्तदुआ प्रमुखतः इस आधार पर चाही है कि अपीलार्थीगण द्वारा तथाकथित रुप से उक्त सम्पूर्ण खाते का सहमति आधारित विभाजन करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2020 को रस्पोडेण्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के गहनतापूर्वक विश्लेषण उपरान्त न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा यह कभी भी स्पष्ट नहीं किया है कि चाहा गया संशोधन प्रार्थी द्वारा सम्यक् तत्परता बरतने के उपरांत भी विचारण प्रारम्भ होने से पूर्व क्यों प्रस्तुत नहीं किया जा सका। प्रार्थी द्वारा पूर्व में गत खसरा संख्या 143 के सम्बन्ध में ही राहत चाही गई थी, किन्तु हस्तगत प्रार्थना पत्र द्वारा सम्पूर्ण खाता संख्या 41 को अपील मीमों के अभिवचनों में सम्मिलित करने से अपील की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

सम्पूर्ण विषयवस्तु ही परिवर्तित हो जाएगी। अतः ऐसे संशोधन की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 खारिज किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक़्त बहस अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण को अपास्त करने का निवेदन किया।

अपील की मूल विषयवस्तु पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं मूल नामान्तरकरण परत का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के दौरान तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष दिनांक 23.11.2021 को एक सहमति आधारित बंटवाडा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसीलदार द्वारा तस्दीक करते हुए ज़रिए आदेश क्रमांक/भू.अ./21/1717 दिनांक 23.11.2021 पटवारी हल्का कोलीवाडा को उपरोक्त स्वीकृत बंटवाडे को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं नक्शें में माफिक बंटवाडा तरमीम करने को आदेशित किया गया। पटवारी हल्का कोलीवाडा द्वारा उक्त आदेश क्रमांक/1717 दिनांक 23.11.2021 की पालना में आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1353 दिनांक 23.02.2023 को दर्ज किया गया जिसे तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा दिनांक 03.03.2023 को स्वीकृत किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1353 की वैधता को इस आधार पर चुनौति दी गई है कि राजस्व नक्शें में अपीलार्थीगण का हिस्सा कब्जानुसार नहीं दर्शाकर त्रुटिपूर्ण तरमीम की गई है, साथ ही अपीलाण्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर आपसी सहमति बंटवारे के पूर्व प्रश्नगत खसरा संख्या 143 रकबा 0.8600 हैक्टेयर की स्थिति बहाल करते हुए पुनः संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया है। अर्थात अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व नक्शें में हुई तथाकथित त्रुटिपूर्ण तरमीम के आधार पर सहमति आधारित विभाजन को निरस्त करने की इस्तदुआ चाही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड के विश्लेषण उपरान्त निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख करना प्रासंगिक है:–

1. अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष दिनांक 23.11.2021 को प्रस्तुत सहमति आधारित विभाजन पत्र के अनुरुप ही राजस्व अभिलेख में एवं नक्शें में अमलदरामद किया जाना सिद्ध पाया जाता है, अर्थात् अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विभाजन दस्तावेज एवं नजरी नक्शें तथा राजस्व अभिलेख में किए गए अमलदरामद में कोई विरोधाभाष नहीं पाया गया है।
2. लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत सहमति आधारित विभाजन को इस न्यायालय में चुनौति प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 105 / / 2024
उनवान : करणसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार सुमेरपर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

3. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के उपबन्धान्तर्गत स्वीकृत विभाजन पत्र के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के प्रावधानान्तर्गत प्रस्तुत अपील वैधानिक रुप से संधारणीय नहीं है।

अतः तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1353 पटवार मण्डल कोलीवाडा में कोई हस्तक्षेप वांछनीय नहीं होने से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **27.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली